

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 197]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 अप्रैल 2026 — वैशाख 3, शक 1948

गृह विभाग, सी-अनुभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 अप्रैल 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENCOR-35/2207/2026-HOME SECTION.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 1-18015/21/2012-NM-III दिनांक 04.04.2013 एवं 29.08.2022 के तहत जारी नक्सलियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास कार्ययोजना के दिशा-निर्देश के बिन्दु 6.2 में "A LWE cadre shall be free to surrender before any unit of the CAPFs, District Magistrate, the District SP, the Range DIG, the IG (Ops), the IG (Special Branch), the DIG (Special Branch), the SP (Special Branch), the SDM, the Sub Divisional Police Officer and other notified officers. The officers for this purpose shall be notified by the State Governments. A LWE cadre may also surrender before any unit of the Army or the CAPFs outside the State. The officer receiving the surrendered shall send the details as informed by the surrenderer filled up in prescribed proforma to the S&R Officer. The S&R Officer will get the antecedents of the LWE cadre verified from authorities/organizations concerned" के परिपालन में आत्मसमर्पित माओवादियों द्वारा बताई गई जानकारी/विवरण लेखबद्ध कर अद्यतन करने हेतु राज्य शासन एतद्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, नक्सल प्रभावित जिलों को नामांकित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी.चौहान, उप-सचिव.